संख्या-03/2026/513/52-2-2026-52-2099/155/2022

प्रेषक,

अनिल कुमार यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2026

विषय-वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 शिया/सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड को अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4352/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2025-26, दिनांक 09-03-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 सुन्नी सेण्ट्र वक्फ बोर्ड एवं उ0प्र0 शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड को प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हुई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए प्राविधानित धनराशि रू0 100.90 लाख (रूपये एक करोड़ नब्बे हजार मात्र) के सापेक्ष उ0प्र0 शिया/सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्डो को अनावर्तक अनुदान मद में द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 33,63,300/- (रू0 तैंतीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित कुल धनराशि रु0 1,00,90,000/- (रूपये एक करोड़ नब्बे हजार मात्र) के सापेक्ष एक तिहाई अर्थात रुपये 33,63,300/- (रूपये तैंतीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का हस्तान्तरण सम्बन्धित बोर्ड को किया जायेगा।

Shasandesh.up.gov.in

3. स्वीकृत धनराशि का केवल शासन द्वारा अनुमोदित कार्यों/प्रयोजनों के लिये ही व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि पुराने दायित्वों व किसी अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
6. धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व तदनुसार स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. अवमुक्त धनराशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण सहित प्रगति आख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-102-धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन-05-उत्तर प्रदेश शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डों को अनावर्तक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के यू.ओ. संख्या-E-4-266-X-2025-26-दिनांक: 18-03-2026 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(**अनिल कुमार यादव**)
उप सचिव।

shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या-513(1)/52-2-2026, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।
6. वित्त/लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
10. नियोजन अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**अनिल कुमार यादव**)
उप सचिव।

shasanadesh.up.gov.in